न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०...... 123/2024

(कंप्यूटर रजि० संख्या–264/2024)

सरकार बनाम तरूण कुमार आदि

अंतर्गत धारा–302/34,201 भा०द०सं०

थाना–विजयनगर गाजियाबाद।

मु0 अ0 सं0–851/2023

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण तरूण कुमार, आकाश नाथ उर्फ लूल्ही व गौरव को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 27–10–2023 की रात्रि में किसी समय ओयो होटल के पास में K.A.कालोनी के गेट के पास अंतर्गत सीमा थाना विजयनगर गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा वादी के साले अरूण की जुए में हार–जीत के रूपये को लेकर साशय ईंट से सिर कुचलकर हत्या कारित कर दी। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित धारा–34 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि आप अभियुक्तगण द्वारा वादी के साले अरूण की हत्या करने के बाद, स्वयं को हत्या के अपराध के दण्ड से बचाने के लिए, हत्या का साक्ष्य नष्ट करने के आशय से उसके शव को राहुल विहार द्वितीय में हाईवे के पास ओयो होटल के पास नाली में पेड़ के पास झाड़ी पत्तियों एवं कूड़े से छिपा दिया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा–201 भा०द०सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः08–07–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः08–07–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.07.11 16:43:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court